

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1067/703/16/19/यो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16-3-2018

- 1 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।
- 2 परियोजना संचालक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।
- 3 समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश परिक्षेत्र।
- 4 समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश मण्डल।
- 5 समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश संभाग।
- 6 समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक,
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू.
मध्यप्रदेश
- 7 समस्त संभागीय परियोजना यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू.
मध्यप्रदेश

विषय: विभागीय कार्यों में अनुपूरक सूची के अनुमोदन बाबत।

संदर्भ: म.प्र. शासन लो.नि.वि. का पत्र क्र. 1731/703/16/19/यो भोपाल दिनांक
31.03.2017

शासन के आदेश क्र. 1731/703/16/19/यो भोपाल दिनांक 31.03.2017 से
विभागीय कार्यों में मूल अनुबंध में स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त अनुपूरक कार्यों की स्वीकृति के
सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त निर्देश के बिन्दु क्र. 1 में अर्थवर्क के कार्यों में प्रावधानित मात्रा से अधिकतम
30 प्रतिशत तक की वृद्धि सम्बंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा प्रदान की जाती है तथा इससे
अधिक वृद्धि होने के प्रकरण में शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है।

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अर्थवर्क में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
होने पर अब प्रकरण के निराकरण हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को
अधिकृत किया जाता है।

परिपत्र में निर्देशित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

पृ.क्रमांक 1068/703/16/19/यो
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर
सूचनार्थ।

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 16-3-2018

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग